	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-2 / 18	पत्रावली पेश हुई। वकला पक्षकारान उपस्थित/उभय पक्षों ने पुनः बहस करनी चाही/उभय पक्षों की पुनः बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16-3-18 को पेश हो।	
16-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकला पक्षकारान उपस्थित। P.O. द्वारा राजकीय कार्य के रहने के कारण से वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 9-4-18 को पेश हो। P.O. [illegible]	
9-4 / 18	पत्रावली पेश हुई। वकला पक्षकारान उपस्थित/उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की पुनः बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 27-4-18 को पेश हो।	
27-4 / 18	पत्रावली पेश हुई। वकला पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी / वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की। जवाबदेह वकील विपक्षीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की दरख्वास्त की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर कनाही w/o रामेश्वर दरोगा, 1/4, नाथू s/o नाना 1/4, सरजू देवा नेहा, केशी s/o रामचन्द्र, देवी s/o	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खाता 1/2 जाट शाहिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। खाता 1/2 जाट शाहिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जरिये इन्तकाल नं० 32 दिनांक 20-3-04 के द्वारा विरासत के कस्तूर बेवा नेहरा के बजाय हरकू D/o नेहरा एवं विरासत के कस्तूर बेवा नेहरा के बजाय हरकू D/o नेहरा, बसी S/o केवी S/o रतना के बजाय हरकू प्रजीत दा, बसी S/o को देवी S/o रतना, सीता D/o रामचन्द, कोशती, उगामी, सोमली, रूपला, सीता D/o रामचन्द, कोशती, उगामी, सोमली, रूपला की तस्दीक हुई। जिसकी रामचन्द के नाम दर्ज करने की तस्दीकशुदा हुई। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल तस्दीक प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल से होती है। विवादित जमाबंदी सम्वत 2058 से 2061 से होती है विवादित खसरा 20 बीघा 4 बिस्वा नं० 54 से 78 कुल किता 25 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा खाता 1/2, मूर्ती नानी बेवा कजानाथ, नाथू S/o नाना 1/2, रामचन्द, देवी S/o रतना, कस्तूर बेवा नेहरा, बसी S/o रामचन्द, देवी S/o रतना के नाम दर्ज रिकार्ड है। जरिये 1/2 जाट शाहिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जरिये इन्तकाल नं० 32 दिनांक 20-3-04 के द्वारा विरासत के नाम दर्ज हुई। जिसकी तस्दीक खाता विपक्षी क्र० 1 से 6 के नाम दर्ज हुई। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2058 से 2061 से होती है विपक्षी क्र० 1 द्वारा अराजी 2058 से 2061 से होती है विपक्षी क्र० 1 द्वारा अराजी खसरा नं० 54 से 78 कुल किता 25 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा में प्रथम पक्ष का 1/4 हिस्सा होने के खिलाफ कीमतन प्रथम पक्ष का 1/4 हिस्सा होने के खिलाफ कीमतन प्रेमदेवी W/o मदनलाल गुर्जर ने क्रय किया। जिसकी प्रेमदेवी W/o मदनलाल गुर्जर ने क्रय किया। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रस्तुत दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र के अवलोकन से तथ्यों के अनुसार विवादित अराजियात कि यदि जो तथ्यों के अनुसार विवादित अराजियात व प्रार्थी के नाम केवल नाम से दर्ज रिकार्ड है जो व प्रार्थी के नाम केवल नाम से दर्ज रिकार्ड है जो विवादित है। प्रार्थी जिन तथ्यों को लेकर अवैध विवादित है। प्रार्थी जिन तथ्यों को लेकर अवैध पत्र प्रस्तुत किया। इसकी तस्दीक कागजों के दस्तावेज पत्र प्रस्तुत किया। इसकी तस्दीक कागजों के दस्तावेज साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी वसीयत के आधार पर विवादित अराजियात पर काबिज होकर कब्जे की तस्दीक अराजियात पर काबिज होकर कब्जे की तस्दीक भी साक्ष्य से ही काबिज होगी। विपक्षी भी साक्ष्य से ही काबिज होगी। विपक्षी के हक व हिस्से की अराजियात अनाधिकृत के हक व हिस्से की अराजियात अनाधिकृत दस्तावेज से प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी तस्दीक में नजीर R-R-T. 2015(2) पेज 1221 प्रस्तुत की।

इस प्रकार प्रार्थीगण न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है और न ही सुविधा का संतुलन ही है क्योंकि किरायेदार है प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी स्थगन प्रार्थना पत्र को निरस्त कराने में सक्षम रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A को निरस्त कराने में सक्षम रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner